न्यायालय सं0–2

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

उपस्थितः– मा0 श्री सुखलाल भारती, सदस्य (प्रशासकीय)

निर्देश याचिका संख्या–2349 / 2021

समय सिंह, पी0एन0ओ0.–972517475, आयु लगभग 44 वर्ष, पुत्र स्व0 लक्ष्मी सिंह, निवासी–ग्राम अकरवस कनायनी, पुलिस स्टेशन अहमदगढ़, जिला बुलंदशहर। वर्तमान तैनाती उप निरीक्षक ना0पु0, चौकी प्रभारी ककरही, जिला सीतापुर।

.....याची

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा अपर मुख्य सचिव (गृह), उ0प्र0 सरकार, सिविल सचिवालय, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ।
3. पुलिस अधीक्षक, जनपद सीतापुर।

..... विपक्षीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :–
श्री मोहम्मद नासिर, अधिवक्ता.....(याची)
विद्वान् प्रस्तुतकर्ता अधिकारी.....(विपक्षीगण)

निर्णय

द्वारा माननीय श्री सुखलाल भारती, सदस्य (प्रशासकीय)

याची द्वारा यह याचिका उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत परिनिन्दा संबधी दण्डादेश दिनांकित 30.04.2021 (संलग्नक–1) एवं अपीलीय आदेश दिनांकित 25.09.2021 (संलग्नक–2) को अपास्त कर समस्त पारिणामिक सेवा लाभ प्रदान किये जाने के अनुतोष हेतु योजित की गयी है।

2. संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची की नियुक्ति दिनांक 20.08.1997 को आरक्षी ना0पु0 के पद पर हुई तथा वर्ष 2017 में वह उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रोन्नत हुआ। याची जब वर्ष 2020 में पुलिस स्टेशन मिश्रिख जनपद सीतापुर में तैनात था तो उसे विपक्षी सं0–03 द्वारा दिनांक 17.03.2021 को निम्न आशय की कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी :–

''जब यह वर्ष 2020 में जनपद–सीतापुर के थाना मिश्रिख में उ0नि0ना0पु0 के पद पर नियुक्त थे तब श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री प्रभाष चन्द्र मिश्र निवासी ग्राम

सहसापुर थाना कोतवाली मिश्रिख जनपद सीतापुर ने मा0 उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ में रिट याचिका सं0–10937/एमबी/2020 सीता देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी थी। जिस पर मा0 न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनाँक 24.08.2020 में ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यवाही किए जाने हेतु आदेशित किया गया था जिस पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेश सहित आवेदिका श्रीमती सीता देवी उपरोक्त का आवेदन पत्र दिनाँकित 10.09.2020 को जरिए डाक पत्र व्यवहार शाखा पुलिस कार्यालय सीतापुर में दिनाँक 15.09.2020 को प्राप्त हुआ जहां से दिनाँक 16.09.2020 को शिकायत प्रकोष्ठ में प्रेषित किया गया। शिकायत प्रकोष्ठ पुलिस कार्यालय सीतापुर द्वारा आवेदिका का प्रार्थनापत्र दिनाँक 17.09.2020 को थाना मिश्रिख भेजा गया परन्तु थाना मिश्रिख पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन न किए जाने के फलस्वरूप प्रकरण के संबंध में आवेदिका द्वारा अवमानना याचिका 1825(सी)/2020 सीता देवी बनाम आर0पी0सिंह पुलिस अधीक्षक सीतापुर के नाम योजित की गयी। उक्त प्रकरण में बरती गयी लापरवाही के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद सीतापुर से करायी गयी। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी प्रारम्भिक जांच आख्या दिनाँकित 18.12.2020 प्रस्तुत की गयी जिसमें अंकित किया गया है कि इनके द्वारा आवेदिका के प्रार्थना पत्र दिनाँकित 29.06.2020 एवं तत्क्रम योजित की गयी रिट याचिका सं0–10937/एमबी/2020 की प्रति दिनाँक 08.08.2020 को प्राप्त किया गया जिसमें आवेदिका के अभियोग में आरोप पत्र सुसंगत अभिलेखों सहित मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था। जब कि आवेदिका श्रीमती सीता देवी से सम्बन्धित मु0अ0सं0–357/2020 धारा 323/504 भादवि की विवेचना इनके द्वारा सम्पादित करते हुए दिनाँक 22.08.2020 को आरोप पत्र सं0–352/2020 भी प्रेषित किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र व मा0न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के पश्चात इनके द्वारा कोई कार्यवाही न करते हुए अपेक्षित सूचना मा0 उच्च न्यायालय को प्रेषित नहीं की गयी इसके अलावा उक्त रिट याचिका के प्राप्त से पूर्व आवेदिका श्रीमती सीता देवी का एक प्रार्थना पत्र घटना के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ था जिसे इनको दिनाँक 15.07.2020 को प्राप्त कराया गया जिसमें इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इनका उक्त कार्य इनके राजकीय कर्तव्य पालन एवं मा0 न्यायालय के आदेश अनुपालन में बरती गयी घोर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।''

याची द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण दिनाँक 08.04.2021 को विपक्षी सं0 3 के समक्ष आरोप से इंकार करते हुए प्रस्तुत किया गया। लेकिन विपक्षी सं0 03 द्वारा याची के स्पष्टीकरण को संतोषजनक न पाते हुए उसे दिनाँक 30.04.2021 को परिनिन्दा संबधी दण्डादेश पारित कर दिया गया जो अमुखरित एवं अकारण आदेश है। याची द्वारा पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्गत परिपत्र दिनाँकित 10.02.1989 प्रस्तुत किया गया जिसमें सभी उच्चाधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि उनके द्वारा जो भी अन्तिम निर्णय पारित किया जाए वह स्पष्ट एवं सकारण होना

चाहिए जिसमें यह भी कारण स्पष्ट किया जाए कि दण्डधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण को किन दशाओं में संतोषजनक नही पाया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में इस परिपत्र का अनुपालन विपक्षी द्वारा नहीं किया गया है। याची द्वारा दण्डादेश से क्षुब्ध होकर के विपक्षी सं0–02 के समक्ष विभागीय अपील प्रस्तुत की गयी जिसे विपक्षी सं0–02 द्वारा बिना तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किए ही अपने अपीलीय आदेश दिनाँक 25.09. 2021 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत की गयी हैं जो निम्नवत् है –

1. सिविल अपील सं0–5508/2003–जी0 वल्ली कुमारी बनाम आंन्ध्रा एजूकेशन सोसायटी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2010

2. एस0एल0पी0 (सी) सं0–12998/1993 कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, किसान डिग्री कॉलेज बनाम शम्भू शरण पाण्डेय व अन्य

3. राज कुमार मेहरोत्रा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 2006 एस.सी.सी. (एल एण्ड एस) पृष्ठ 679

4. यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहन लाल कपूर (1973) 2 एस0सी0सी0–836

याची के अनुसार उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं का अनुपालन विपक्षी द्वारा उसके मामले में नहीं किया गया है। अतः प्रश्नगत दण्डादेश निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार याची द्वारा याचिका योजित कर स्वीकार किये जाने की याचना की गई है।

4. याची द्वारा प्रश्नगत दण्डादेश एवं अपीलीय आदेश को अपास्त कर याचिका को स्वीकार किये जाने हेतु निम्न आधार प्रस्तुत किये गये हैंः–

1. विपक्षीगण द्वारा पारित दण्डादेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.02.1989 के प्राविधान के विपरीत है और विधिक दृष्टि में निरर्थक, आधारहीन एवं अन्यायपूर्ण है।
2. दण्डाधिकारी द्वारा बिना विधिक मस्तिष्क का प्रयोग किये ही प्रश्नगत दण्डादेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।
3. याची ने अपने स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट कर दिया है कि उसने शासकीय कार्य में कोई लापरवाही नहीं की है लेकिन विपक्षी सं0 3 ने उसके बयान पर ध्यान दिये बिना प्रश्नगत दण्डादेश पारित कर दिया जो उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के

पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली 1991 के प्रावधानों के विरूद्ध है।

4. प्रारम्भिक जांच के दौरान याची ने अपना बयान प्रस्तुत किया और सभी आरोपों से इंकार किया लेकिन जांच अधिकारी ने बिना किसी साक्ष्य के अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए याची को दोषी पाया है।

5. प्रतिपक्षीगण की तरफ से लिखित कथन/प्रतिवादपत्र दाखिल किया गया जिसमें यह कहा गया है कि याची वर्ष 2020 में जब यह उपनिरीक्षक थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर में उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त था तब श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री प्रभाष चन्द्र मिश्र निवासी ग्राम सहसापुर थाना कोतवाली मिश्रिख जनपद सीतापुर ने मा0 उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ में रिट याचिका सं0–10937/एमबी/2020 सीता देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी थी। जिस पर मा0 उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनाँक 24.08.2020 में ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यवाही किए जाने हेतु आदेशित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन न किए जाने के फलस्वरूप प्रकरण के सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा अवमानना याचिका योजित की गयी। इनको आवेदिका का प्रार्थना पत्र दिनाँक 10.09.2020 तथा मा0 उच्च न्यायालय का आदेश दिनाँक 24.08.2020 जो आवेदिका के प्रार्थनापत्र दिनाँक 29.06.2020 व रिट याचिका सं0–10937/एमबी/2020 में थाना स्तर से अपेक्षित कार्यवाही न होने के परिणामस्वरूप पारित किया गया जो दिनाँक 21.09.2020 को इन्हें प्राप्त कराया गया जिस पर इनके द्वारा मा0 न्यायालय के आदेश पर कोई कार्यवाही नही की गयी और मा0 न्यायालय का आदेश दिनाँक 21.09.2020 से दिनाँक 04.10.2020 तक लम्बित रखा गया। उक्त आरोप के संबध में याची को कारण बताओ नोटिस दिनाँक 17.03.2021 निर्गत कर स्पष्टीकरण मांगा गया। याची द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस दिनाँक 26.03.2021 को प्राप्त किया गया तथा याची द्वारा अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनाँक 08.04.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा याची के लिखित स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण बलहीन होने के कारण संतोषजनक न पाते हुए सकारण दण्डादेश दिनाँक 30.04.2021 पारित कर याची को परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया है। याची द्वारा दण्डादेश दिनाँक 30.04.2021 के विरूद्ध योजित अपील भी अपीलीय अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ, परिक्षेत्र लखनऊ द्वारा सकारण आदेश दिनाँक 25.09.2021 पारित कर अस्वीकार/निरस्त कर दी गयी है। याची के सम्बन्ध में पारित दण्डादेश दिनाँक 30.04.2021 तथा अपीलीय आदेश दिनाँक 25.09.2021 पूर्णतया

विधिक एवं नियमानुसार हैं तथा इन्हें पारित किये जाने में कोई विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। याची द्वारा निराधार तथ्यों के आधार पर याचिका योजित की गयी है। अतः याचिका सव्यय निरस्त होने योग्य है।

6. याची की ओर से लिखित कथन के विरूद्व प्रत्योत्तर शपथ–पत्र दाखिल किया गया है तथा लिखित कथन में किये गये कथनों का खण्डन किया गया है।

7. मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का विधिवत् अवलोकन/परिशीलन किया।

8. याची के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड पारित करते समय याची द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर सम्यक् रूप से विचार नहीं किया गया तथा उसके विरूद्ध अमुखरित एवं कारण रहित दण्डादेश पारित किया गया है। याची द्वारा यह भी कहा गया है कि उसने अपने स्पष्टीकरण में यह उल्लिखित किया था कि उसने शासकीय कार्य में कोई लापरवाही नहीं की है लेकिन दण्डाधिकारी ने उसके स्पष्टीकरण पर विचार किये बिना प्रश्नगत दण्डादेश पारित कर दिया जो उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली 1991 के प्रावधानों के विरूद्ध है। अतः दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य है।

9. विपक्षीगण की ओर से विद्वान् प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याची को बचाव का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा याची द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप सकारण एवं मुखरित रूप से उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम–14(2) के अनुसार दण्डादेश पारित किया गया है जो पूर्णतया विधिक एवं नियमानुसार है जिसमें कोई विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। याची को कारण बताओ नोटिस के साथ प्रारम्भिक जांच आख्या की प्रति प्राप्त कराई गई है एवं पत्रावली के अवलोकन करने की अनुमति भी प्रदान की गयी थी। ऐसी स्थिति में याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

10. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि याची को दिनांक 17.03.2021 को पुलिस अधीक्षक सीतापुर द्वारा कारण बताओ नोटिस (संलग्नक–4) निर्गत की गयी है। इसके उपरान्त याची द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण दिनांक 08.04.2021 को प्रस्तुत किया गया जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लिखित किया गया है कि "दिनांक 08.08.2020 को रिट याचिका सं0 10937 (एमबी)/2020 की प्रति थाना

कार्यालय मिश्रिख द्वारा मुझे प्राप्त करायी गयी थी। रिट की प्रति का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया तो आवेदिका श्रीमती सीता देवी द्वारा मेरे विरूद्ध ही आरोप लगाये जाने के कारण मेरे द्वारा रिट की प्रति थाना कार्यालय को वापस कर दी गयी थी। जबकि जांच अधिकारी द्वारा उक्त तथ्य की पूर्ण रूप से अनदेखी की गयी है। याची को बिना कारण लापरवाही और अनुशासनहीनता का दोषी ठहराया गया है। दण्डाधिकारी द्वारा दण्डादेश पारित करते समय याची द्वारा स्पष्टीकरण में उल्लिखित उक्त तथ्य को विचार में नहीं लिया गया है तथा परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया है।

11. याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांकित 30.04.2021 (संलग्नक–1) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त दण्डादेश में याची के स्पष्टीकरण की विवेचना की गयी है। उपरोक्त आदेश से स्पष्ट हो रहा है कि याची द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण की व्याख्या करते हुए तथा उस पर सम्यक् विचारोपरान्त दण्डाधिकारी ने अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। चूँकि दण्डाधिकारी द्वारा अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग किया गया है और याची के स्पष्टीकरण की विवेचना की गई है, ऐसी स्थिति में याची का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है कि उसके स्पष्टीकरण की दण्डाधिकारी ने कोई विवेचना नहीं की। ऐसी स्थिति में उपरोक्त दण्डादेश को अमुखरित आदेश नहीं कहा जा सकता है।

12. कारण बताओ नोटिस के अवलोकन से स्पष्ट है कि याची को जांच आख्या की प्रति प्रदान की गयी है जिसे याची द्वारा प्राप्त करके संलग्नक–3 के रूप में पत्रावली पर दाखिल किया गया है। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध याची ने विभागीय अपील भी दाखिल की है जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से विचार करते हुए बलहीन पाये जाने के आधार पर अस्वीकार किया गया है। याची द्वारा अपीलीय आदेश के विरूद्ध कोई पुनरीक्षण याचिका दाखिल नहीं की गई है। इस प्रकार उसके द्वारा सम्पूर्ण वैकल्पिक उपचारों का उपभोग नहीं किया गया है।

13. प्रश्नगत प्रकरण की जांच श्री एन.पी. सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, दक्षिणी, जनपद सीतापुर द्वारा संपादित की गयी है जिसमें उन्होंने याची तथा अन्य कई साक्षीगण के बयान अंकित किये हैं। जांच अधिकारी द्वारा अपनी जाचं आख्या के अन्त में यह निष्कर्ष दिया गया है कि "प्रारम्भिक जांच से पाया गया कि आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थनापत्र दिनांकित 29.06.2020 की प्रति संलग्न करते हुए मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका सं0 10937(एमबी)/2020 योजित की गयी जिसकी

प्रति दिनांक 05.08.2020 को थाना कार्यालय मिश्रिख सीतापुर पर प्राप्त हुई, जिसे दिनांक 08.08.2020 को उ0नि0 श्री समय सिंह द्वारा प्राप्त किया गया। उ0नि0 श्री समय सिंह ने अपने अभिकथन में अंकित कराया है कि उक्त रिट याचिका में उनके विरूद्ध आरोप अंकित किये गये थे, इसलिए उनके द्वारा उक्त रिट की प्रति थाना कार्यालय को वापस कर दी गयी जिसमें आवेदिका श्रीमती सीता देवी के अभियोग में आरोपपत्र सुसंगत अभिलेखों सहित मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था, किन्तु उ0नि0 श्री समय सिंह ने मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका की प्रति प्राप्त होने के उपरान्त भी उसके संबध में कोई कार्यवाही न करते हुए अपेक्षित सूचना मा0 उच्च न्यायालय को प्रेषित नहीं की गयी जबकि आवेदिका श्रीमती सीता देवी से संबधित मु0अ0सं0 357/2020 धारा–323/504 भा0द0वि0 की विवेचना स्वयं उ0नि0 श्री समय सिंह द्वारा ही की जा रही थी तथा दिनांक 22.08.2020 को अभियोग में आरोपपत्र सं0 352/2020 भी प्रेषित किया गया है। उक्त रिट याचिका की प्रति प्राप्ति से पूर्व भी थाना मिश्रिख पर आवेदिका श्रीमती सीता देवी का एक प्रार्थनापत्र घटना के संबध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्राप्त हुआ था जो आवश्यक कार्यवाही हेतु उ0नि0 श्री समय सिंह को दिनांक 15.07.2020 को प्राप्त कराया गया था किन्तु उ0नि0 श्री समय सिंह द्वारा आवेदिका श्रीमती सीता सिंह के उक्त प्रार्थनापत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।" इस प्रकार याची द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा शिकायतकर्ता सीता देवी का प्रार्थनापत्र दिनांकित 29.06.2020 की प्रति एवं शिकायतकर्ता द्वारा योजित रिट याचिका सं0 10937(एमबी)/2020 की प्रति जो थाना कार्यालय मिश्रिख सीतापुर में दिनांक 05.08.2020 को प्राप्त हुई थी जिसे याची द्वारा दिनांक 08.08.2020 को स्वयं प्राप्त किया गया था। चूंकि उसमें याची के विरूद्ध ही आरोप लगाये गये थे जिस कारण याची ने उक्त रिट याचिका की प्रति थाना कार्यालय को वापस कर दी थी। इस प्रकार याची द्वारा उस पर लगे आरोप को स्वयं ही स्वीकार किया गया है। अतः उसके विरूद्ध पारित दण्डादेश उचित है।

14. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना से स्पष्ट हो रहा है कि सम्पूर्ण कार्यवाही याची को नियमानुसार सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए संपादित की गयी है तथा याची द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में उल्लिखित बिन्दुओं की सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त याची के विरूद्ध आरोप सिद्ध होने पर दण्डादेश पारित किया गया है। याची कोई ठोस एवं उचित आधार अपने बचाव हेतु प्रस्तुत नहीं कर सका है जबकि याची के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये गये हैं। याची द्वारा स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा आवेदिका सीता देवी का प्रार्थनापत्र दिनांकित 29.06.2020 की प्रति रिट याचिका

सं0 10937(एमबी)/2020 की प्रति के साथ थाना कार्यालय मिश्रिख सीतापुर में दिनांक 05.08.2020 को प्राप्त हुई जिस याची द्वारा दिनांक 08.08.2020 को स्वयं प्राप्त किया गया है। चूंकि उसमें याची के विरूद्ध ही आरोप लगाये गये थे जिस कारण याची ने उक्त रिट की प्रति थाना कार्यालय को वापस कर दी थी जबकि उसको स्वयं ही उक्त के संबध में कार्यवाही करनी चाहिए थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याची द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गयी है। दण्डाधिकारी द्वारा पारित किये गये दण्डादेश में याची द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण की विस्तृत विवेचना करते हुए दण्डादेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। अतः इस संबध में याची द्वारा प्रस्तुत की गयी विधि व्यवस्थाएं उसके प्रकरण में लागू नहीं होती हैं।

15. अपीलीय आदेश दिनांक 25.09.2021(संलग्नक–2) के परिशीलन से स्पष्ट है कि अपीलीय प्राधिकारी पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ द्वारा याची की अपील में वर्णित समस्त बिन्दुओं पर विचारोपरान्त सकारण आदेश दिनांक 25.09.2021 पारित करते हुए अपील को बलहीन पाते हुए अस्वीकार/निरस्त कर दिया गया है जो नियमानुसार कार्यवाही है तथा दण्डादेश दिनांक 30.04.2021 में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है। तद्नुसार याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्देश याचिका निरस्त की जाती है। वाद–व्यय पक्षकार स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–
(सुखलाल भारती)
सदस्य (प्रशासकीय)

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0/–
(सुखलाल भारती)
सदस्य (प्रशासकीय)

दिनांकः 19 अगस्त 2026

(सौ0सि0)